संख्या : 59/2015/997(2)/छप्पन-2015-64/2013

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 15 जुलाई, 2015

विषय :नये क्रय किये जा रहे वायुयान सुपर किंग एयर-बी-250 (माडल बी-200 जी0टी0) पर 03 अभियन्ताओं को यू0एस0ए0 में प्रशिक्षण दिलाये जाने के लिए अग्रिम आहरण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 313/ना0उ0वि0/ई0एन0जी0/पी-4/2015, दिनांक 17-6-2015 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नये क्रय किये जा रहे वायुयान सुपर किंग एयर-बी-250 पर 03 अभियन्ताओं को (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी मैसर्स बीचक्राफ्ट टेक्सट्रान एविएशन विचिटा, कन्सास, यू0एस0ए0 में निम्नलिखित अवधि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना है :-

क्र0	वायुयान अनुरक्षणअभियंता	प्रशिक्षण अवधि (यात्रा दिवसों सहित)	प्रशिक्षण अवधि (यात्रा दिवसों रहित)	प्रशिक्षण स्थान
1	श्री हरजीत सिंह, वायुयान अनुरक्षण अभियंता	25 जुलाई, 2015 से 16 अगस्त, 2015 कुल 23 दिन	27 जुलाई, 2015 से 14 अगस्त, 2015 कुल 19 दिन	विचिटा कन्सास, यू0एस0ए0
2	श्री मोती राय, वायुयान अनुरक्षण अभियंता	28 नबम्वर, 2015 से 20 दिसम्बर, 2015 कुल 23 दिन	30 नबम्वर, 2015 से 18 दिसम्बर, 2015 कुल 19 दिन	
3	श्री कन्हैया लाल गुप्ता, वायुयान अनुरक्षण अभियंता, एवियानिक्स	08 अगस्त, 2015 से 16 अगस्त, 2015 कुल 9 दिन	10 अगस्त, 2015 से 14 अगस्त, 2015 कुल 5 दिन	

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्तानुसार अभियन्ताओं कों तीन स्लाटों में प्रशिक्षण हेतु वायुयान किराया रूपये 4,05,000/- (रूपये चार लाख पॉच हजार मात्र), बीजा शुल्क रूपये 10,500/- मात्र एक अभियंता का (रूपये दस हजार पॉच सौ मात्र), दैनिक भत्ता रूपये 65/- प्रति यू0एस0डालर की विनिमय दर से (बैंक चार्जेज सहित) भारतीय मुद्रा में रूपये 2,79,500/- (रूपये दो लाख उनयासी हजार पॉच सौ मात्र), होटल किराया रूपये 65/- प्रति यू0एस0डालर की विनिमय दर से (बैंक चार्जेज सहित) भारतीय मुद्रा में रूपये 2,93,475/- (रूपये दो लाख तिरानवे हजार चार सौ पचहत्तर मात्र), लोकल यात्रा भत्ता रूपये 65/- प्रति यू0एस0डालर की विनिमय दर से (बैंक चार्जेज सहित) भारतीय मुद्रा में रूपये 1,11,800/- (रूपये एक लाख ग्यारह हजार आठ सौ मात्र) इस प्रकार कुल रूपये 11,00,275/- (रूपये ग्यारह लाख दो सौ पचहत्तर मात्र) का व्यय निहित है, जिसमें से वायुयान किराये, दैनिक भत्ते, होटल किराये एवं लोकल यात्रा भत्ते की मद में निहित व्यय रूपये 10,89,775/- (रूपये दस लाख नवासी हजार सात सौ पिचहत्तर मात्र) के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की जानी है। अत: राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2015-16 में श्री हरजीत सिंह, श्री मोती राय एवं श्री के0एल0 गुप्ता अभिंयताओं को पूर्वोक्त तालिका में उल्लिखित प्रशिक्षण अवधि के अनुसार निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी मैसर्स बीचक्राफ्ट टेक्सट्रान एविएशन विचिटा, कन्सास, यू0एस0ए0 में प्रशिक्षण हेतु रूपये 11,00,275/- (रूपये ग्यारह लाख दो सौ पचहत्तर मात्र) के व्यय के सापेक्ष रूपये 10,89,775/- (रूपये दस लाख नबासी हजार सात सौ पचहत्तर मात्र) के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि रूपये 10,89,775/- (रूपये दस लाख नबासी हजार सात सौ पचहत्तर मात्र) का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

3- प्रशिक्षण हेतु विदेश यात्रा से पूर्व प्रशिक्षु अभियंताओं से नियमानुसार बॉण्ड पत्र निष्पादित कराया जायेगा।

4- प्रश्नगत प्रशिक्षण के उपरान्त वायुयान किराया, लोकल यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं होटल किराया आदि से सम्बन्धित व्यय का विवरण (मूल बिल बाउचर के साथ) 15 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या- 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नाम डाला जायेगा।

---3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- एफ0ए0-1-220/दस-2015, दिनांक 15 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)

सचिव।

संख्या : 59/2015/997(3)/छप्पन-2015-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।

7- सम्बन्धित अभियन्तागण।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in